संख्या–117 /अड़तीस–7–2013–156नरेगा/2012टीसी

प्रेषक,

अशोक कुमार,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1. समस्त जिलाधिकारी/जिला कार्यक्रम समन्वयक,
   उत्तर प्रदेश।
2. समस्त मुख्य विकास अधिकारी/अतिरिक्त जिला कार्यक्रम समन्वयक,
   उत्तर प्रदेश।

ग्राम्य विकास अनुभाग–7 लखनऊः दिनांकः 22 अप्रैल, 2013

विषयः– जीवन ज्योति परियोजना तथा जीवन शक्ति परियोजना का प्रभावी कियान्वयन किये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या–2592/38–7–2008–351एनआरईजीए/2008 दिनांकः 31–10–2008 द्वारा महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारण्टी योजनान्तर्गत प्रदेश में जीवन ज्योति परियोजन(डीजल जेट्रोफा एवं करंज पौधों का वृक्षारोपण) एवं शासनादेश संख्या–2587/38–7–2008–351एनआरईजीए/2008 दिनांकः 31–10–2008 द्वारा जीवन शक्ति परियोजना(औषधि एवं सघन पौधों का पौधरोपण) के संबंध में दिशा निर्देश निर्गत किये गये हैं। इस संबंध में उपाध्यक्ष, राज्य योजना आयोग की बैठक दिनांकः 21–03–13 में यह निर्देश दिये गये हैं कि बायो डीजल उत्पादन हेतु समस्त वृक्षारोपण कार्य मनरेगा कनवर्जेन्स के अन्तर्गत जीवन ज्योति परियोजना के माध्यम से पब्लिक सेक्टर की कम्पनियों द्वारा किया जा रहा है। आए–दिन उनके समक्ष बजट की समस्या खड़ी रहती है। समय से बजट स्वीकृति के अभाव में प्रत्येक वर्ष कम्पनियों को दिये गये लक्ष्य का लगभग 10–15 प्रतिशत अंश की ही पूर्ति हो पाती है।

2– परियोजना का कियान्वयन जुलाई से अक्टूबर में होता है। कम्पनियों द्वारा ग्राम पंचायत से समझौता प्रारूप हस्ताक्षरित कर वर्क आईडी निष्पादित करा लेने के उपरांत भी प्रस्तावित कार्य हेतु संबंधित ग्राम पंचायत के सापेक्ष बजट स्वीकृति प्राप्त नहीं कर पाती। इसके अतिरिक्त यदा–कदा जनपदों में जिलाधिकारियों/मुख्य विकास अधिकारियों द्वारा कार्यकारी आदेश जारी कर परियोजना के कियान्वयन में रोक भी लगा दी जाती है। वृक्षारोपण के उपरांत बजट के अभाव में समय से सिंचाई न हो पाने की स्थिति में पौधों के सूख जाने की आशंका बढ़ जाती है।

3– उपरोक्त के अतिरिक्त जीवन शक्ति परियोजना को जनपदों में जहां संबंधित जिलाधिकारियों तथा मुख्य विकास अधिकारियों का सहयोग प्राप्त मिला, काफी अच्छे परिणाम प्राप्त हुए। अन्य जनपदों में इस प्रकार के प्रयास संबंधित जनपद स्तर अधिकारियों द्वारा किये जाने चाहिए। इस परियोजना में जहां मेन्था की एक एकड़ खेती में 128 कार्य दिवस के रोजगार का सृजन होता है, वहीं लगभग 70 से 80000.00 रू0 प्रति एकड़ की शुद्ध आय भी प्राप्त होती है। यह परियोजना संबंधित लाभार्थी के रोजगार सृजन के साथ– साथ उसके

2/.....

आर्थिक उन्नयन का प्रबल आधार भी बन सकती है। अतः जीवन ज्योति परियोजना तथा जीवन शक्ति परियोजना को प्राथमिकता से जनपद स्तर से प्रभावी कार्यान्वयन हेतु जनपद स्तरीय अधिकारियों को निर्देश निर्गत किया जाय।

4– उपरोक्त के कम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उक्त शासनादेशों एवं मा0 उपाध्यक्ष, राज्य योजना आयोग द्वारा दिये गये निर्देशानुसार ''जीवन ज्योति परियोजना'' तथा ''जीवन शक्ति परियोजना'' का कियान्वयन प्रभावी रूप से कराये जाने हेतु आवश्यक कार्यवाही कराने का कष्ट करें।

कृपया उपरोक्त निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

भवदीय,

(अशोक कुमार)
विशेष सचिव।

संख्या –।।7। (1)/अड़तीस–7–2013 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
2. आयुक्त/रोजगार गारण्टी आयुक्त, ग्राम्य विकास, उ0प्र0।
3. अपर आयुक्त(मनरेगा), ग्राम्य विकास, उ0प्र0।
4. बायो इनर्जी मिशन सेल, नियोजन विभाग, उ0प्र0शासन को उनके पत्रांक–286/बा0इ0मि0से0/2013 दिनांकः 31–03–13 के कम में।
5. गार्ड बुक।

आज्ञा से,

(उमा कान्त पाठक)
अनु सचिव।